संख्या 4/1/87-पें0का0एकक-1
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1987.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का अंशदायी भविष्य निधि योजना से पेंशन योजना में आना चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0वी0एफ0 स्कीम) से शासित होते हैं, विगत में पेंशन योजना में शामिल होने के उद्देश्य से विकल्प देने की अनुमति बार बार दी गई थी । ऐसा अन्तिम विकल्प कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जून, 1985 के का0ज्ञा0सं0 फा0-3(1) पेंशन एकक/85 द्वारा दिया गयाथा । तथापि, कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अभी भी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत बने हुए हैं ।

1. चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अब यह सिफारिश की है कि अंशदायी भविष्य निधि के ऐसे सभी लाभग्राहियों को जो कि 1 जनवरी, 1986 को कार्यरत थे उक्त तिथि से पेंशन योजना के अंतर्गत माना जाए, जब तक कि वे अं0भ0नि0 योजना के अंतर्गत रहने का विशेष रूप से विकल्प न दे ।

2. सावधानी से विचार करने के बाद, राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि उक्त सिफारिशें नीचे दिए अनुसार स्वीकार तथा कार्यान्वित की जाएंगी ।

3. सभी अंशदायी भविष्य निधि लाभग्राहियों को, जो 1.1.1986 को सेवारत थे और जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को भी सेवारत हैं, पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल समझा जाएगा ।

3.2. तथापि उपर्युक्त उल्लिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों को यह विकल्प होगा कि यदि वे चाहें तो, अंशदायी भविष्य निधि योजना के सदस्य बने रह सकते हैं । यदि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के सदस्य बने रहने के इच्छुक हैं तो उन्हें इस आशय का विकल्प देना होगा और उसको सूचना संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को उपर्युक्त तारीख तक कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता तो कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल हुआ मान लिया जाएगा ।

....2/-

110

3.3. अंशदायी भविष्य निधि के जो लाभग्राही 1.1.1986 को सेवारत थे, किन्तु अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा जिनके मामले में सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन किया गया है, उन्हें अपनी सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं की गणना पेंशन योजना के अन्तर्गत कराने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते कि वे अंशदायी भविष्य निधि खाते के निपटारे के समय अ.भ.नि. में सरकार का अंशदान तथा उस पर लगे ब्याज की रकम सरकार को वापस कर दें। ऐसे विकल्प का प्रयोग अधिक से अधिक 30.9.1987 तक किया जा सकेगा।

3.4. अंशदायी भविष्य निधि के ऐसे लाभग्राहियों के मामले में, जो 1.1.1986 को सेवा में कार्यरत थे किन्तु अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिनके मामले में अंशदायी भविष्य निधि खाते का भुगतान पहले नहीं किया गया है, उन्हें सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं यह मानकर दी जाएगी कि वे पेंशनभोगी स्थापनाओं में नियुक्त थे। जब तक कि वे अपने सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं का निपटारा अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कराने के लिए 30.9.1987 तक विशेष रूप से विकल्प न दे दें।

3.5. अंशदायी भविष्य निधि के ऐसे लाभग्राहिओं के मामले में, जो 1.1.1986 को सेवा में कार्यरत थे किन्तु जिनकी अब सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसके बाद में मृत्यू हो गई थी, उनके मामले का निपटारा यथा स्थिति, उपर्युक्त पैरा 3.3 या 3.4 के अनुसार किया जाएगा। ऐसे मामलों में विकल्प का प्रयोग अधिक से अधिक 30.9.1987 तक विधवा/विधुर द्वारा तथा विधवा/विधुर के न होने की स्थिति में परिवार के सबसे अधिक आयु के जीवित सदस्य द्वारा किया जा सकता है जो कि अन्य कुटुम्ब पेंशन योजना के लागू होने की स्थिति में अन्यथा कुटुम्ब पेंशन पाने का हकदार होता।

3.6. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा।

3.7. पैरा 3.3 तथा 3.5 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, जिनमें सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त की गई अंशदायी भविष्य निधि में सरकार का अंशदान तथा इस पर प्रदत्त ब्याज की रकम वापिस की जानी होती है। इस राशि को अधिक से अधिक 30.9.1987 तक वापस करना होगा। यदि उक्त तारीख तक राशि वापस नहीं की जाती तो 30.9.87 के बाद विलम्बित अवधि के लिए इस राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

4.1. ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो पैरा 3.3, 3.4 तथा 3.5 के अनुसार पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल हुए माने जाते हैं या जिन्होंने इसमें शामिल होने का विकल्प दिया है, उनके मामले में सेवा निवृत्ति तथा मृत्यु प्रसुविधाएं उसी प्रकार विनियमित की जाएंगी जिस प्रकार कि स्थिति अनुसार पेंशन सेवी स्थापनाओं के अस्थायी/स्थायी अथवा स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में की जाती है।

.....3/-

4.2. उपर्युक्त ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो पेंशन योजना में शामिल होते हैं या उसके अन्तर्गत शामिल हुए माने जाते हैं, उन्हें अंशदायी भविष्य निधि में सरकारके अंशदान के साथ, कर्मचारी के अं.भ.नि. के खाते की राशि पर लगाए गए ब्याज को सरकार द्वारा पुन: ग्रहण किया जाएगा । अंशदायी भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों का जो अंशदान तथा ब्याज जमा है उसे उनके पेंशन योजना के अधीन आते समय आबटित किए गए उनके भविष्य निधि लेखे में अन्तरित कर दिया जाएगा ।

4.3. अंशदायी भविष्य निधि खाते में अभिदान/अंशदान को बन्द करने की कार्रवाई विकल्प दिए जाने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 30.9.1987 के बाद ही की जानी चाहिए ।

5. चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1.1.1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए अं.भ.नि. लाभग्राहियों को तथा इनमें से जिनकी मृत्यु 1.1.1986 से पूर्व हुई थी उनके परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी प्रदान करने का एक प्रस्ताव अलग से सरकार के विचाराधीन है । उक्त अनुग्रहपूर्वक अदायगी, जब कभी मंजूर होगी, ऐसे कर्मचारियों को अथवा उनके परिवारों को अनुज्ञेय नहीं होगी, जिन्होंने 1.1.1986 के बाद से अंशदायी भविष्य निधि योजना में बने रहने का विकल्प दे दिया है ।

6.1. ये अदेश ऐसे सभी सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जो अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962 के अधीन अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहे हैं । अन्य अंशदायी भविष्य निधियों, अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहे हैं । अन्य अंशदायी भविष्य निधियों, जैसे कि विशेष रेल भविष्य निधि अथवा भारतीय आयुध फैक्टरी कामगार भविष्य निधि अथवा भारतीय नौ-सेना डाक यार्ड कामगार भविष्य निधि आदि के मामले में अपेक्षित आदेश संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे ।

6.2. ये आदेश उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जिन्हें पुनर्नियुक्ति पर अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने की अनुमति दी गई है । ये आदेश संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होते,जहां अंशदायीभविष्य निधि का अंशदान संविदा की शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाता है ।

6.3. ये आदेश,परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक विभागों के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों,पर लागू नहीं होते, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में विद्यमान प्रणाली को अपना लिया है । उनके संबंध में आदेश यथा समय अलग से जारी किए जाएंगे ।

7.1. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों को उनके अधीन सभी अंशदायी भविष्य निधि लाभग्राहियों जिसमें 1.1.1986 से सेवा निवृत्त हुए तथा इन आदेशों के पैरा 3.5 के अधीन आने वाले परिवार शामिल है, की जानकारी में ला दें ।

....4/-

7.2. प्रशासनिक मंत्रालय जो अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (1962) से अलग प्रकार की किसी अंशदायी भविष्य निधि नियमावली को लागू किए हुए हैं, उन्हें भी यह सलाह दी जाती है कि वे उन नियमों के अंतर्गत आने वाले अ.भ.नि. लाभग्राहियों के संबंध में पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के परामर्श से इसी प्रकार की आदेश जारी करें।

8. ये आदेश, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के दिनांक 13.4.1987 के यू0 ओ0 संख्या 2038/जे0एस0(का)/87 द्वारा दी गई सहमति से जारी किए जाते हैं।

9. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर लागू करने का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं।

(आई0के रसगोत्रा)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय।
4. लोक सभा सचिवालय।
5. राज्य सभा सचिवालय।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत का उच्चतम न्यायालय।
9. निर्वाचन आयोग।
10. योजना आयोग।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
12. सभी राज्यों के महालेखाकार।
13. निदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय मध्य औद्योगिक एस्टेट पी0बी0 मार्ग, बम्बई।
14. निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), कलकत्ता।
15. निदेशक, लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
16. निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय बम्बई।
17. निदेशक, लेखा परीक्षा, वैज्ञानिक तथा वाणिज्यिक विभाग, बम्बई।
18. निदेशक, लेखा परीक्षा, वाणिज्य कार्य तथा विविध, नई दिल्ली।
19. लेखा महानियंत्रक।

...5/-

20. निदेशक, लेखा पी.ए.आई अनुभाग, पणजी, गोवा ।
21. लेखा नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन "बी" ब्लाक विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
22. रक्षा लेखा महानियंत्रक ।
23. नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन इलाहाबाद ।
24. नियंत्रक रक्षा लेखा (नेवी,) बम्बई ।
25. नियंत्रक, रक्षा लेखा (वायु सेना), नई दिल्ली ।
26. उप-नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन वितरण), नई दिल्ली ।
27. सभी राज्यों तथा संघ राज्यों के वित्त सचिव ।
28. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
29. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, के सभी संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
30. कार्मिक, तथा प्रशिक्षण विभाग/पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।
31. अ.भा.से. प्रभाग; कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ।
32. ई-I/अनुभाग, व्यय विभाग ।
33. जे.सी.ए. अनुभाग (राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सदस्यों के बीच वितरण के लिए 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
34. अवर सचिव (पेंशन(पेंशन विभाग(एस.सी.ओ.वी.ए.) के सदस्यों के बीच वितरण के लिए 30 अतिरिक्त सहित)
35. संसद पुस्तकालय ।
36. राष्ट्रीय पुस्कालय, कलकत्ता ।

(एम.आर. वैद्य)
उप सचिव, भारत सरकार

---:0:---

114

विकल्प का प्रपत्र

मैं .... जो कि मंत्रालय/विभाग
(नाम)
कार्यालय में ....
(मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम)
मैं .... के रूप में नियुक्त हूं पेंशन तथा पेंशन
(पद नाम)
भोगी कल्याण विभाग के दिनांक 1.5.1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/1/87-पेंशन का कक्ष के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य बने रहने का विकल्प देता हूं।

स्थान ....

तारीख ....

(विकल्प देने वाले के हस्ताक्षर)